झारखंड उच्च न्यायालय रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 2700/2022

1. भरत जयसवाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय महावीर प्रसाद भगत
2. सुजीत कुमार जयसवाल उर्फ बंटी कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र भरत जयसवाल, दोनों निवासी जी.टी. रोड, अपर बाजार, डाकघर एवं थाना - गोविंदपुर, जिला-धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. गुलाम हसनैन नियाज़ी, पुत्र सैयद सादिद अहमद, निवासी नवी नगर, डाकघर+ थाना-बैंकमोर, जिला-धनबाद .... विपक्षीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता।
राज्य के लिए : श्री ए0 के0 तिवारी, अपर.लोक नियोजक
उत्तरदाता सं0 2 के लिए : श्री एच0 के0 शिकरवार, अधिवक्ता।

प्रस्तुत
माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी,

1. दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दायर की गई है। संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान न्या0दंडा0एफ0सी0, धनबाद के आदेश दिनांक 08.06.2022 को विखंडित करने की प्रार्थना के साथ, जिसके द्वारा विद्वान न्या.दंडा. एफ.सी., धनबाद ने धारा 418, 420, 384, 386, 406, 341, 506, 34 भा.द.वि. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है, तथा परिवाद आवेदन संख्या 3575/2022के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध सम्मन जारी करने का आदेश अभिनिर्धारित किया।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के साथ 12 पहियों वाले एक ट्रक की बिक्री के लिए एक समझौता किया। शिकायतकर्ता, ट्रक का मालिक था और समझौते के पक्षों के बीच यह सहमति हुई थी कि याचिकाकर्ता ट्रक खरीदेंगे और वित्त प्रदत्त करने वालो का बकाया राशि भुगतान करेंगे; शिकायतकर्ता ने किससे वित्त प्राप्त करके ट्रक खरीदा और कुछ अन्य बकाया का भुगतान किया जाएगा। यह आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने समझौते के अनुसार

बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और शिकायतकर्ता को शेष राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित करने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच हुए निर्विवाद समझौते की प्रति इस याचिका के उपाबंध 3 के रूप में रखी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने रुपये को छोड़कर सभी बकाया का भुगतान कर दिया है। एक लाख, जो शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उक्त वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान किया जाना है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 3,79,500/- रुपये का भुगतान अर्थदाता को देय ऋण बकाया के लिए,किया है,और इस बीमा के लिए 50,000/- की राशि का भुगतान किया है, और इसे शिकायतकर्ता द्वारा समझौते तथा सत्यवादिता में पृष्ठांकन करके स्वीकार किया गया है, और जिसकी सत्यता पर शिकायतकर्ता - उत्तरदाता संख्या 2, जो इस मामले में पैरवी कर रहे हैं, के द्वारा कोई विवाद नहीं है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता 50,00,000/- रुपये से अधिक के चेक किये गए हैं, में आयकरकी आलिप्ति से बचने के लिए रुपये, 4,99,000/- चेक और नकद 15,500/- रुपये की भुगतान की स्वीकृति को भी स्वीकार करता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच का विवाद अधिक से अधिक एक दीवानी विवाद है, और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू से ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का कोई नियत रखने का कोई आरोप नहीं है और इसके अभाव में, भा.द.वि. की धारा 420/418 के तहत दंडनीय अपराध है, का मामला नहीं बनता है.

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि बेईमानी से दुर्विनियोग के किसी भी आरोप के अभाव में भा.द.वि.की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। शिकायतकर्ता के सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर बयान के कंडिका 17 की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल उसको गाली दिया है, इसलिए यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 341, 384, 386, 506 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही परिवाद पत्र में लगाए गए आरोप, शिकायतकर्ता की सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर बयान और जांच साक्षियों के कथन को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी, कानून के किसी भी दंडात्मक प्रावधान के तहत, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंडनीय अपराध का मामला नहीं बनता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ परिवाद आवेदन संख्या 3575/2022 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 को विखंडित तथा अपास्त किया जाय।

7. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित हुए और विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ परिवाद आवेदन संख्या

3575/2022 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.06.2022 को विखंडित करने की प्रार्थना का तीव्र विरोध करता है, और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने केवल 4,99,000/- रुपये का भुगतान शिकायतकर्ता को किया है, और शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए यह धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बराबर है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिना किसी योग्यता के इस आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया जाए।

8. बार में प्रस्तुतीकरण को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध तथ्य का अवलोकन करने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत, उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य (2005) 10 एस.सी.सी 336 के मामले के कंडिका 6 में अभिनिर्धारित किया गया है,जो इस प्रकार है:-

"6 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन्हीं मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई हो। यदि धोखाधड़ी का नियत बाद में विकसित हुआ है, तो वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही क्या अभियुक्तों की ओर से धोखा देने का कोई नियत था जो भा.द.वि. की धारा 420 (जोर दिया गया) के तहत अपराध के लिए एक शर्त है कि विश्वास का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के प्रस्ताव को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में, उल्लंघन होगा, यदि उपाबंध की शुरुआत में ही कोई धोखा किया गया हो, तो उपाबंध धोखाधड़ी के समान होगा और यदि धोखा देने का नियत बाद में विकसित हुई है, तो यह धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा।

9. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है जैसा कि बिनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य जो (2014) 10 एस.सी.सी 663 के कंडिका 18 में अभिनिर्धारित किया गया है, के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है, इस प्रकार है: -

"18 वर्तमान मामले में, शिकायत में आरोपों को देखते हुए, हम पाते हैं कि कोई भी आरोप भा.द.वि. की धारा 405 के संघटक को आकर्षित करते हुए नहीं लगाया गया है इसी तरह, अपीलकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से लाभ उठाने या शिकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी या बेईमान नियत का कोई आरोप नहीं है दूसरे प्रतिवादी को भुगतान और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग स्वयं या किसी अन्य कार्य के लिए किया, आपराधिक उल्लंघन का मामला बनाने के लिए संपत्ति का दुर्विनियोग करने के बेईमान नियत का कोई लेशमात्र आरोप नहीं है आपराधिक विश्वासभंग का मामला बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पैसा अपीलकर्ताओं द्वारा रखा गया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने बेईमानी से किसी भी तरह से निपटान कर दिया या बेईमानी से उसे बरकरार रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासभंग नहीं है।" (जोर दिया गया) कि अभियुक्त के खिलाफ सौंपी गई संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के किसी भी आरोप के अभाव में, अपराध दंडनीय है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 नहीं बनती है।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, स्वीकारत: याचिकाकर्ताओं ने सहमत राशि में से पर्याप्त धनराशि का भुगतान किया है। हालाँकि यह आपराधिक विविध याचिका 29.07.2022 को दायर की गई है। पक्ष संख्या2 ने इस मामले में कोई प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया है, उन कारणों के लिए, जो उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं और पक्षों के बीच दिनांक 20.11.2021 को हुआ समझौता है, जिसकी प्रति, अनुलग्नक 3, पृष्ठ 22 - 26 पर रखी गई है। इस आपराधिक विविध याचिका को चुनौती नहीं दी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल रु। 1,00,000/- का भुगतान याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को और शिकायतकर्ता के पक्ष में ट्रक के स्वामित्व के हस्तांतरण पर किया जाना है। निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रश्न में ट्रक का स्वामित्व याचिकाकर्ताओं के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है। अब, पक्षों के बीच लेन-देन की शुरुआत के बाद से, याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी बेईमान इरादों के आरोप की अनुपस्थिति में, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भा.द.वि. की धारा 418 या 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

11. जहां तक भा.द.वि. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का प्रश्न है, याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के किसी भी आरोप के अभाव में, भा.द.वि. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है। जैसा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है, 09.04.2022 को हुई घटना के बारे में; उस अवसर पर, याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को गाली-गलौज दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को सदोष अवरोध कारित करने का कोई आरोप नहीं है, इसके अभाव में, भा.द.वि. की धारा 341 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। वहाँ भी याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी को चोट या मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डालकर बलात् ग्रहण करने का आरोप नहीं है, इसलिए भा.द.वि. की धारा 384/386 के तहत दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है।किसी भी आरोप के अभाव में, कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता या किसी अन्य को संत्रास करने के आशय से कोई कार्य, कृति या चीज़ की, भा.द.वि की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है।

12. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का सुविचारित दृष्टिकोण है कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप, शिकायतकर्ता की सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर कथन और अभिलेख में उपलब्ध जांच साक्षियों के बयान को सच माना जाए, संपूर्णता में, फिर भी, कोई भी अपराध नहीं बनता है, जिसके संबंध में, विद्वान न्या.दंडा.एफ.सी., धनबाद ने प्रथम दृष्टया मामला पाया है, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, विनिश्चय के पूर्ववर्ती कंडिका में, इसलिए, आपराधिक कार्यवाही जारी रहेगी याचिकाकर्ताओं के लिए यह कानून की प्रक्रिया का दुर्विनियोग होगा, इसलिए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है, कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ परिवाद मामला संख्या 3575/2022 के संबंध में दिनांक 08.06.2022 को आदेश पारित किया गया है, विखंडित तथा अपास्त किया जाए।

13. तदनुसार, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ परिवाद आवेदन संख्या 3575/2022 के संबंध में दिनांक 08.06.2022 को पारित आदेश विखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

14. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 18 मार्च, 2024
स्मिता /ए.एफ.आर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।